ापरण मुकदमा प्रा० पत्र 111/120 नं० 172 सन् 2022

नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की तारी मे जारी हु
11-22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29-11-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
29/11/22	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य ... बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27/12/22 को पेश हो।	
27/12/22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किया गया, अप्रार्थीगण को रुक-रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान-सरकार

यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

धिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

ख्या- 172/22 प्रा॰ पत्र

कैलाशचन्द्र पुत्र श्री बालु खटीक निवासी- भादु तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

ती नाना देवी पत्नि गंगाराम बिश्नोई निवासी-सगेलिया तहसील-माण्डल [वगैरा]
(पृष्ठांकित आपत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम पातरपुरा पटवार हल्का भादु तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 2323/2290, 2335/2288 कुल किता 02 रकबा 1.8969 र स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.11.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ा हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पातरपुरा पटवार ल्का भादु तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 2323/2290, 2335/2288 ल किता 02 रकवा 1.8969 हेक्टयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी कये जाने हेतु पत्थगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 800/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने र पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये र[illegible] विन्दु को आधार मानकर पत्थगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थगढी नहीं की जाव[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा